आर.ई.ओ. – 106

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर–342 003 फोन नं. 0291 2651227 (का) फेक्स नं० 2651313

क्रमांकः– प्रनि/जोविविनिलि/अनु–पीपीएम/पत्रा०सामान्य /प्रे०सं० 1695 जोधपुर,दिनांक 6.9.05

आदेश

विषय :– सामुदायिक/सामूहिक लिफ्ट सिंचाई योजना के सम्बन्ध मे।

****

कृषि कनेक्शन नीति–2004 (संशोधित 18.09.2004) के बिन्दु संख्या 12 के अनुसार वर्तमान मे प्रावधान है कि कृषकों की सामुदायिक/सामूहिक लिफ्ट सिंचाई योजना के कनेक्शनो को तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर दिया जावेगा। मांग पत्र विशेष श्रेणी की तरह जारी किये जावेंगे एवं विद्युत दर विशेष श्रेणी की ली जावेगी। ट्राइबल सब प्लान (टी.एस.पी) क्षैत्र में साधारण श्रेणी लागू होगी।

राज्य सरकार ने कृषकों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से निर्णय कर अतिरिक्त प्रावधान किया है कि अन्य क्षैत्रों के कनेक्शन जो कि रात–दिन सप्लाई (Round the Clock Supply) के अलावा फीडर्स पर है , उनसे भी साधारण श्रेणी की विद्युत दर ली जावेगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(एच.एस. देवड़ा)
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।